



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 25, 2013/माघ 5, 1934

No. 252]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 25, 2013/MAGHA 5, 1934

शहरी विकास पंचालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2013

क्र.आ. 274(अ).—केन्द्र सरकार मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल सुरक्षा आयुक्त, पश्चिमी मण्डल, मुम्बई को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का राजस्थान अधिनियम सं. 25) की धारा 2 के खण्ड (8) में यथापरिभाषित जयपुर महानगर क्षेत्र में मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए एतद्वारा नियुक्त करती है।

[फा. सं. के-14011/21/2012-एमआरटीएस-III]

के. सी. मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2013

S.O. 274(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby appoints Commissioner of Railway Safety, Western Circle, Mumbai to act as Commissioner of Metro Railway Safety in respect of the Metro Railway Project in Jaipur Metropolitan area as defined in clause (8) of Section 2 of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Rajasthan Act No. 25 of 1982) with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F.No. K-14011/21/2012-MRTS-III]

K. C. MEENA, Under Secy.